संख्या–26 /आई0टी0–बायो0अनु0/2004

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय,
पंतनगर, नैनीताल।

बायोटेक्नोलोजी विभाग। देहरादून: दिनांक: 31 मार्च, 2004

विषयः– **हल्दी, पंतनगर, नैनीताल में बायोटेक्नोलोजी हेतु सेण्टर आफ एक्सीलेन्श फोर माउण्टेन बायोलोजी (CEMB) स्थापना के लिए लाईब्रेरी ब्लाक निमार्ण तथा भूमि कय हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–130/आई0टी0–बायो0अनु0/2003, दिनांक 03 नबम्बर, 2003 तथा शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2003 के में सन्दर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हल्दी, पंतनगर, नैनीताल में बायोटेक्नोलोजी हेतु सेण्टर आफ एक्सीलेन्श फोर माउण्टेन बायोलोजी (CEMB) लेबोट्री ब्लाक की स्थापना के लिए रू0 58.90 लाख, लेबोट्री ब्लाक में तत्संबंधी उपकरणों हेतु रू0 66.10 लाख तथा बोयोटेक्नोलाजी पार्क के उपयोगार्थ भूमि कय के लिए रू0 275.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 400.00 लाख (रू0 चार करोड़) मात्र की धनराशि को निम्नलिखित उल्लिखित योजना के कार्यदायी संस्था के लिए आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि लाख रूपयों में)

| क0 सं0 | योजना का नाम | कार्यदायी संस्था | प्रस्तावित आंगणन | स्वीकत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | लेबोट्री ब्लाक की स्थापना के लिए | उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, हल्द्वानी | 62.22 | 58.90 |
| 2 | लेबोट्री ब्लाक में तत्संबंधी उपकरणों हेतु | उत्तरांचल शीड्स व टी0डी0सी0, हल्दी, पंतनगर | 75.00 | 66.10 |
| 3 | बोयोटेक्नोलाजी पार्क के उपयोगार्थ भूमि कय के लिए | पंतनगर विश्वविद्यालय | 275.00 | 275.00 |
| | | योग– | | 400.00 |

2– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से संबंधित बिल आपके द्वारा तैंयार कर इन बिलों पर जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरान्त कोषागार से आहरित कर उपरोक्त तालिका के कालम–3 में अंकित कार्यदायी संस्थाओं कोकालम–5 पर उल्लिखित धनराशि को योजनाओं के अनुरूप बैक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3— उक्त निर्माण कार्य निम्न शर्तों के अन्तर्गत पूर्ण किये जायेंगे:—

(1) आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

(4) एकमुश्त प्राविधान कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली—भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेक्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकताअनुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

(7) आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टींग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लायी जाय।

3— स्वीकृत कार्यो पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध शासन द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

6— भवन निर्माण से संबंधित सामग्री/फर्नीचर/उपकरण का क्रय पद धारक/कार्यालय की अनुमन्यता के अनुसार ही डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरें अथवा टेंण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

7— उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महॉलेखाकार तथा व्यय विवरण बी0एम0—13 पर नियोजन/वित्त/कृषि अनुभाग, उत्तरांचल शासन को उपलब्ध कराया जाय।

8— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003—04 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—23 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक—3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान—60—अन्य—आयोजनेत्तर —004—अनुसंधान तथा विकास—04—गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में बायोटेक्नोजी पार्क की स्थापना—42—अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

29/3

9— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—2408/वि0अनु02/2003, दिनांक 29 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

29/3

( अमरेन्द्र सिन्हा )
सचिव।

संख्या—26 (1)/आईटी—बायो0अनु0/2004,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2— जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
3— रजिस्ट्रार, गोविन्द पंत, कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।
4— सिनियर साइंस एजवाईजर, वायोटैक एवं परियोजना निदेशक, स्टेट बायोटैक प्रोग्राम, टी0डी0सी0 विल्डिंग, हल्दी, उधमसिंह नगर।
5— अपर सचिव, वित्त (बजट) उत्तरांचल शासन।
6— विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
7— निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
8— वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर/देहरादून।
9— अधीशासी अभियन्ता, उ0प्र0 समाज कल्याण निगम, हल्द्वानी।
9— वित्त अनुभाग—2/कृषि अनुभाग/नियोजन अनुभाग उत्तरांचल शासन।
10— गार्ड फाईल। एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

29/3

( अमरेन्द्र सिन्हा )
सचिव।